झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 62 वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पुष्पा उराँव एवं अन्य
मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन
ग्रा०-मुन्दो, पो०-इरगाँव, प्र०+था०- लोहरदगा
जिला-लोहरदगा

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लोहरदगा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–62 / 2023 परिवादी श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पो0–इरगांव, प्र0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादीगण द्वारा अपने परिवाद पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि PDS वितरक विणा महिला मण्डल, ग्राम–मुन्दो, अनु0 सं0–01 / 2012 के निलंबित अवधि में उनसे संबद्ध लाभुकों को एक अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री रबुल अंसारी, अनु0 सं0–01 / 90 के साथ संबद्ध किया गया है। यह कि PDS डीलर श्री रबुल अंसारी द्वारा दिनांक–02.10.2023 को अपने PDS दुकान के सूचना पट्ट में निम्न सूचना प्रकाशित की गई है:– 1. निलंबित डीलर विना महिला मण्डल के कार्डधारियों का राशन माह अगस्त एवं सितम्बर, 2023 में कटौती किया गया है। क्योंकि माह सितम्बर से दिसम्बर, 2022 तक PMGKAY का चावल 652 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 341 कि0ग्रा0 और मार्च महिने का NFSA का चावल 312 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 90 कि0ग्रा0, इस तरह अगस्त माह का आवंटन में कुल चावल 964 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 331 कि0ग्रा0 काटा गया है, जिसमें 259 यूनिट कार्डधारियों का खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। 2. माह सितम्बर, 2023 के आवंटन में माह अप्रैल, 2023 NFSA चावल 302 कि0ग्रा0 एवं गेहूँ 91 कि0ग्रा0 कम आवंटन जिसमें माह सतम्बर, 2023 में लगभग 7 यूनिट कार्डधारियों को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूर्व में विणा महिला मण्डल, ग्राम–मुन्दो (वर्तमान में निलंबित) द्वारा चलाया जा रहा था और इसका शेष खाद्यान्न विणा महिला मण्डल मुन्दो के पास है। यह अवशेष खाद्यान्न वर्तमान राशन डीलर जन वितरण प्रणाली दुकान अनु0 सं0–01 / 90 श्री रबुल अंसारी, ग्राम–भट्टखिजरी (भौवाटोली) के पास उपलब्ध नहीं है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि इसकी सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु वर्तमान में संबद्ध राशन डीलर श्री रबुल अंसारी, ग्राम–भट्टखिजरी, भौवाटोली के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा से दिनांक–08.09.2023 का आग्रह किया गया परन्तु कार्रवाई लंबित है। परिवादीगण द्वारा लाभुकों को शेष राशन उपलब्ध कराने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	प्राप्त अपील आवदेन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–17.11.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx145